


तारीख हुकम

17/1/23

श्री हांगामकार वकील अपील द्वारा प्रस्तुत
 प्रार्थनापत्र पर पतावनी प्रस्तुत हुई / अपील एवं उपस्थित
 वकील अपील द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर
 अपील विचारण न्यायालय का निर्णय के
 अनुसार 28^{वां} दिसंबर 2022 न्यायालय के विचारण अपील
 नं TA 24/2022 विज्ञापन में निरस्त कर दिया
 जा चुका है / अपील एवं आधारशर्त शा.पा. 28 /
 अने वकील अपील को खारज करने और
 वकील अपील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं पतावनी
 का अवरुद्ध किया गया. न्यायालय में उपर अपील
 को विज्ञापन में निरस्त करी जाना स्वीकृत/स्वीकारित
 प्रतिव होता है।

अतः वकील अपील द्वारा
 प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारज किया जाकर इस
 न्यायालय में विचारण अपील नं TA 24/2022
 में अपील द्वारा आगे कार्यवाही नहीं
 चलाई है अपील विज्ञापन में निरस्त
 करने की अनुमति प्रदान करी जाती है।
 पतावनी संख्या एवं नम्बर के
 अन्तर्गत है।



राजेश अपाल प्राधिकारी
 विचारण